उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या–3367/सेक–2–पॉच–16–1(7)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 9 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के चिकित्साधिकारियों को लेवल–5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8900) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.01.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2– विभागीय चयन समिति की बैठक के समय डा0 वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठता क्रमांक–5007, के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति 'बंद लिफाफे' में रखी गयी थी। उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 10.07.2013 को कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 26.04.2016 द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुए बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी है।

3– अतः पदोन्नति संबंधी 'बन्द लिफाफा' खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 वीरेन्द्र सिंह (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 राम कृत राम (वरिष्ठता क्रमांक–5010) की अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 28.01.2015 से लेवल–5, अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8900) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या–3367(1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6– कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8– डा0 वीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर)।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।